

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/167192/MAU/MAU/1038/CFO

दिनांक: 29-07-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **126,BANGAWAN,MAU** तहसील - **GHOSI** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL	3	1	10.06 mt.
LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL	3	0	10.06 mt.
LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL	3	0	10.06 mt.

तथा प्लॉट एरिया **5907.14 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **01-08-2025** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **RAMLAKHAN YADAV** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **01-08-2025** से **31-07-2028** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

- Note :** 1-भवन में ढाँचागत परिवर्तन/अतिरिक्त निर्माण कराये जाने की दशा में अग्निशमन विभाग द्वारा पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
2-भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना अनिवार्य होगा।
3-विद्युत विभाग से विद्युत ऑडिट कराकर विद्युत प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4-प्रति वर्ष विहित फीस लेखाशीर्षक में जमा कराने के उपरांत अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व अग्नि शमन यंत्रों का शोधन करा कर फायर ऑडिट कराना अनिवार्य होगा

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(KINTY VERMA)

[6EB179467CD23F56B05A4E3932B6A192613FA346]

01-08-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 01-08-2025
स्थान : MAU